**स्थायी व्यादेश के लिए वाद**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

**सादर प्रदर्शित करता है -**

1. यह कि वादी अपनी माता, पत्नी एवम् संतानों के साथ गत लगभग नौ वर्षों से एक किरायेदार की हैसियत से भवन सं. 1 . .............................. में निवास कर रहा है।
2. यह कि वर्ष ............ ................... तक वादी भवन सं. ............................. के परिसर में निर्मित किये गये टिनसेड में निवास कर रहा है।
3. यह कि वादी ने अपने स्वयम् की लागत पर उस पर पक्का कमरा एवम् रसोई घर का निर्माण कराया है। एक कमरा तथा रसोई घर के निर्माण के लिए वादी द्वारा क्रय की गयी सामग्री से सम्बन्धित कतिपय उपलब्ध रसीदे इसके साथ उपाबद्ध की जाती है और उपाबन्ध क-1 के रुप में सामूहिक तौर पर चिन्हांकित की जाती हैं।
4. यह कि वादी एक गरीब व्यक्ति और अपनी पत्नी एवम् माँ से पृथक तीन अप्राप्तवय संतानों के लिए रोजी-रोटी कमाने वाला है और अपनी जीवकोपार्जन करने के लिए कथित भवन के बाहर एक लघु दाबा चला रहा है।
5. यह कि वादी नकद रुप में प्रतिवादी सं. 1 को नियमित रुप से किराये के रूप में ............................... रुपये प्रतिमाह संदाय कर रहा है। फिर भी कोई रसीद कथित किराया का भुगतान करने की दिशा में नहीं जारी की जा रही है।
6. यह कि प्रतिवादी सं. 1 के पुत्रगण प्रतिवादी सं. 2 एवम् 3 या तो परिसर को खाली करने या गंभीर परिणामों का सामना करने की वादी को धमकी दे रहे हैं।
7. यह कि तारीख ............................... को अपने साथियों के साथ-साथ प्रतिवादी सं. 1 गन्दी एवम् अपमान जनक भाषा का प्रयोग करते हुए कमरे में प्रवेश किये और वादी को मारना-पीटना शुरू कर दिये।
8. यह कि वादी ने तारीख .............................. को थाना - भार साधक को मामले की सूचना दी और प्रथम सचना रिपोर्ट दर्ज करायी। इतने पर भी कोई संरक्षण पुलिस द्वारा वादी को नहीं प्रदान किया गया।
9. यह कि वादी एक कानून का अनुपालन करने वाला नागरिक है और अपने स्वयं के छोटे कारबार में स्वयमेव का पर्नवास किया है अतः प्रतिवादी सं. 2 एवम् 3 वे असरदार या प्रभावशाली व्यक्ति है जो अपने स्वयं के हाथों में कानून लेने में विश्वास करते हैं और बल प्रयोग करने में भी विश्वास करते हैं।
10. यह प्रतिवादीगण अपनी शक्ति एवम् धन के प्रयोग के जरिये वादी एवम् उसके परिवार की बलात बेदखली द्वारा कमरा एवम् रसोई घर को हड़प लेने पर तुले हैं।
11. यह कि प्रतिवादियों के कार्य अवैधानिक, मनमाना एवम अनुसमर्थित तथा न्याय के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है और वे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 30 के अधीन स्थायी व्यादेश की एक डिक्री पारित करके अवरुद्ध किया जाने योग्य है जो मामले की परिस्थितियों मात्र से प्रभावकारी है।
12. यह कि प्रथम वाद हेतुक तारीख .............................. को प्रतिवादियों के विरुद्ध वादी का प्रोदभूत हुआ जब वे अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए प्रतिवादियों के कमरे में प्रवेश किये और उसको मारना पीटना प्रारम्भ कर दिये। वाद हेतुक वादी के पक्ष में तारीख .............................. को उत्पन्न हुआ जब अपने बल प्रयोग के साथ प्रतिवादी सं. 2 एवम् 3 बाहर से वादी के निवास स्थान पर ताला लगा दिया। प्रस्तुत वाद को दाखिल करने का वाद हेतुक अभी भी अस्तित्वशील है, और प्रतिवादियों के इस माननीय न्यायालय की डिक्री द्वारा अवरुद्ध किया जाने तक वादी के पक्ष में अस्तित्व रखना चालू रहेगा जैसे कि प्रार्थना की गयी।
13. यह कि पक्षकारगण दिल्ली में निवास करते हैं और विवादग्रस्त वाद सम्पत्ति दिल्ली में स्थित है इसलिए इस आदरणीय न्यायालय के पास वाद को ग्रहण करने तथा विचारण करने की अधिकारिता है।
14. यह कि अधिकारिता एवम् न्यायालय फीस के प्रयोजनार्थ वाद के मूल्य का निर्धारण 130 रुपये किया जाता है जिसके लिए स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु अपेक्षित न्यायालय फीसवादपत्र पर लगायी गयी है। संदाय कर दी जाती है।

**प्रार्थना**

अतएव, यह अतिसादर पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय, विधि की निम्नलिखित आदेशिका के बिना वादी द्वारा परिसर भवन सं. . ............................... के शान्तिपूर्ण कब्जे, अधिभोग, उपभोग एवम् प्रयोग में उनके अभिकर्ताओं, सेवकों नातेदारों इत्यादि प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 को स्थायी तौर पर अवरुद्ध करने वाला वादी के पक्ष में तथा तथा प्रतिवादियों के विरुद्ध एक स्थायी व्यादेश को डिक्री को मंजूर करने की कृपा करें।

ऐसे अन्य अनुतोष जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, को भी मंजूर करने की कृपा करें।

 वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

 वादी